04.08.2026

आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से अधिवक्ता श्री संतराम बैस उपस्थित।

राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री मारकण्डेय मणि त्रिपाठी उपस्थित।

प्रकरण केस डायरी/मूल अभिलेख हेतु नियत है।

प्रकरण की केस डायरी/मूल अभिलेख मय प्रतिवेदन प्राप्त।

आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से दिनाँक 03.08.2026 को प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस पर उभय पक्ष को सुना गया।

आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण/आरोपीगण द्वारा तथा कथीत अपराध कारित नही किया गया है। आवेदकगण/आरोपीगण का उक्त अपराध से कोई संबंध या सरोकार नही है। आवेदकगण/आरोपीगण के उपर झूठे एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर उक्त उन्मानी अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आवेदक/आरोपी निर्दोष है। आवेदकगण/आरोपीगण गरीब एवं अपने घर का कमाउ

व्यक्ति है। यदि आवेदकगण/आरोपीगण ज्यादा दिनो तक न्यायिक अभिरक्षा मे जिला जेल मे रहता है तो, उसका भविष्य चौपट हो जाएगा तथा उसके परिवार के लोग की भूखे मरने की स्थिति मे आ जाएगी। आवेदकगण/आरोपीगण उन्मान मे वर्णित पते के मूल निवासी है जहां इनकी समस्त चल अचल संपत्ति मौजूद है इसलिए जमानत पश्चात् इसे कहीं भागने एवं फरार होने की संभावना नही है। प्रकरण के विवेचना मे काफी समय लगने की संभावना है। आवेदकगण/आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा मे है। आवेदकगण/आरोपीगण को जमानत का लाभ दिए जाने पर आवेदकगण/आरोपीगण सक्षम जमानत एवं मुचलका प्रस्तुत करने को तत्पर है माननीय न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद माननीय न्यायालय का जो भी आदेश एवं शर्ते होगा आवेदकगण/आरोपीगण उसका पालन करेंगे प्रत्येक श्रवण तिथियों मे उपस्थित रहेंगे जमानत के शर्तो का उल्लंघन नही करेंगे। अभियोजन साक्षियों को प्रभावित नही करेंगे एवं माननीय न्यायालय के प्रत्येक आदेश का अक्षरशः पालन करेंगे। आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा, जो शपथपत्र से समर्थित है। इस आवेदन के पूर्व अन्य कोई जमानत आवेदन पत्र न तो माननीय न्यायालय मे और न ही माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मे और न ही माननीय उच्चतम न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है और न ही विचाराधीन है और न निरस्त हुआ है। अतः आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार कर उपरोक्त आधारों पर जमानत दिए जाने की प्रदान किए जाने का निवेदन किया है।

जमानत आवेदन के समर्थन में आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से श्याम कुमार साकेत पिता श्री कन्हैयालाल साकेत उम्र 24 वर्ष पेशा मजदूरी निवासी ग्राम नगवा थाना माडा जिला सिंगरौली म0प्र0 की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि आरोपी/आवेदक कं0 1 उसका फूफा है एवं आवेदक कं0 2 उसके फूफा का पुत्र है, जिन्हे उक्त अपराध मे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जहां से उन्हे न्यायिक

II-1526
C.J.

Order Sheet [Contd]

Case No.....of.....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

अभिरक्षा मे जिला जेल पचौर भेज दिया गया है, तब से आवेदकगण/आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा मे निरूद्ध है। आवेदकगण/आरोपीगण का यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके पूर्व न तो अन्य कोई जमानत आवेदन पत्र न तो माननीय न्यायालय मे और न ही माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मे और न ही माननीय उच्चतम न्यायालय मे पेश किया हूं और न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के **सी0आर0ए0 नं0 825/2026 जेबा खान बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0** एवं अन्य के निर्देशानुसार आरोपीगण का अन्य विवरण निम्नानुसार है–

(A) मामले का विवरण(CASE DETAILS):–

1	एफ.आई.आर. संख्या व दिनांक FIR Number & Date	84/2026
2	पुलिस स्टेशन का नाम, जिला तथा राज्य Police Satation, District and State	सरई, सिंगरौली, मध्यप्रदेश
3	लगाई गई धाराएं Sections invoked	धारा296(बी),115(2), 109, 351(3), 3(5) बी.एन.एस 2023
4	(Maximum punishment prescribed	आजीवन कारावास तक

(B) हिरासत और प्रक्रियात्क अनुपालन (CUSTODY & PROCEDURAL COMPLIANCE):–

1	गिरफ्तारी की तिथि Date of Arrest	21.07.2026
2	हिरासत मे बिताया गया कुल समय Total Period of custody undergone	दिनांक 21.07.2026 से निरंतर आज दिनांक तक

(C) मुकदमे की स्थिति (STATUS OF TIRAL):–

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

1	कार्यवाही का चरण (जांच / आरोप / संज्ञान / आरोप तय करना / मुकदमा) Stage of proceedings	विवेचना
2	आरोप पत्र मे उल्लेखित गवाहो की कुल संख्या Total number of witnesses cited int he chargesheet	अभी अभियोग पत्र पेश नही हुआ है।
3	जांचे गए अभियोजन पक्ष के गवाहों की कुल संख्या number of prosecution witnesses examined	अभी नही

(D) आपराधिक पृष्ठभूमि (CRIMINAL ANTECEDENTS):–

1	अपराध क्रमांक एंव पुलिस थाना Stage FIR NO. & police station	निरंक
2	धाराए Section	निरंक
3	स्थिति Status (लंबित / बरी / दोषी)	निरंक

(E) पिछली जमानता याचिकाएं (PREVIOUS BAIL APPLICATION):–

1	न्यायालय Court	निरंक
2	मामला संख्या Case no.	दौरान रिमांड
3	मामले का परिणाम Statu Outcome of Case	निरंक

(F) दमनकारी प्रकियांएं (COERCIVE PREOCESSES):–

1	क्या कोई गैरजमानतीय वारंट जारी किया गया था Whether any Non-Bailable Warrant was issued	नही
2	क्या घोषित अपराधी घोषित किया गया है Whether declared a proclaimed offenfer	नही

अभियोजन पक्ष की ओर से ए.जी.पी. श्री मारकण्डेय मणि त्रिपाठी ने जमानत आवेदन का मौखिक विरोध किया है कि आवेदकगण / आरोपीगण को जमानत पर छोड़े जाने से वे साक्षीगण

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	को प्रभावित कर सकते है, मामला गंभीर है, इसलिये जमानत आवेदन निरस्त किया जावे। उभयपक्ष को सुना गया। उभयपक्षों के तर्को के आलोक में केस डायरी का अवलोकन किया गया जिससे प्रकट होता है कि फरियादी धनराज साकेत उम्र 50 वर्ष, निवासी गन्नई चौकी बरका थाना सरई जिला सिंगरौली का हमराह उसकी पत्नी केशकुमारी व लडका बाबूलाल साकेत के साथ उपस्थित थाना आकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराया कि दिनांक 14.02.2026 को सुबह करीब 10:00 बजे उसकी मोटर सायकल रास्ते से एक साईड मे खडी थी, तो रामकमल साकेत राई बांध के मोटरसायकल मे आया और धक्का मार दिया, जिससे उसकी मोटरसायकल गिर गई जिससे वह उनसे कहने लगा कि उसकी मोटरसायकल क्यो गिरा दिये हो तो वह गाली गुप्तार देकर हाथ मुक्को से मारपीट करने लगा, जिससे वह एवं उसकी पत्नी तथा लडका बाबूलाल साकेत चौकी बरका मे रिपोर्ट कराने गए थे, रिपोर्ट कर वापस आ रहे थे कि समय करीबन दोपहर 01 बजे ग्राम महरैल जटठाटोला के पास नाला मे रामकमल साकेत, चंद्रशेखर साकेत, कोमलचंद्र साकेत, कन्हैयालाल साकेत नाला मे बैठे थे और मां–बहन की बुरी बुरी गाली देते हुए लाठी डंडा, हाथ मुक्का से उसके एवं उसके लडका बाबूलाल तथा पत्नी केशकुमारी साकेत करे मारपीट करने लगे, जिससे काफी चोट लगी है। मारपीट होते संतोष साकेत एवं मुकुंदलाल साकेत देखे सुने है। सभी आरोपीगण बोल रहे थे कि दोबारा रिपोर्ट करने जाओगे तो जान से मारकर खत्म कर देंगे। मारपीट से उसके सिर मे एंव लडका बाबूलाल साकेत के हाथ, पैर, पकती, पत्नी केशकुमारी साकेत के बाया हाथ, सिर मे व पलई मे काफी चोट लगी है। घटना की सूचना थाना में प्राप्त होने पर थाना सरई के अपराध क. 84/2026 धारा अपराध अंतर्गत धारा 296(बी),115(2), 109, 351(3), 3(5) बी.एन.एस 2023 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया, फरियादी के कथन लेख किये गये, साक्षियो के कथन अंकित किये गये, आहतगण को मेडिकल कराया गया, आरोपगण को गिरफ्तार कर न्यायालय मे पेश किया गया, जहां से उन्हे न्यायिक अभिरक्षा मे भेज दिया गया है।	

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया गया जो विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से व्यक्त किया गया है कि उनके द्वारा कोई अपराध नही किया गया है। झूठा आलिप्त किया है, जमानत पर छोड दिया जावे। आवेदकगण को झूठा आलिप्त किया, इस स्तर पर केसडायरी से संकलित साक्ष्य से प्रकट नही होता है। केसडायरी मे संकलित साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि आवेदकगण/आरोपीगण के द्वारा आहत बाबूलाल, कुशुमकली व धनराज साकेत के साथ समल्लित रूप से मारपीट की गयी है, जिसमे बाबूलाल साकेत को गंभीर चोटे कारित हुई है, जो प्राणघ ातक पायी गयी और जिस आधार पर मामले में 109 के अंतर्गत भी मामला पंजीबद्ध किया गया है, जो कि गंभीर प्रकृति का है। चौकी प्रभारी बरका द्वारा प्रतिवेदन पेश किया गया है कि यदि आरोपीगण को जमानत का लाभ दिया जाता है, तो पुनः इसी तरह की घटना घ ाटित कर सकते है ओर गवाहो को गुमराह कर विवेचना को प्रभावित कर सकते है। आवेदकगण/आरोपीगण के गिरफ्तारी पत्रकों मे भी आरोपीगण को जमानत से फरार होने और छूटने पर तत्काल अन्य अपराध करने और गवाहो को धमकाना व्यक्त किया है। प्रकरण अभी प्रारंभिक स्तर पर है। नियमित जमानत का लाभ दिए जाने पर साक्ष्य के प्रभावित होने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता। अतः प्रकरण की उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण/आरोपीगण को नियमित जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। फलतः आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की एक प्रति केस डायरी सहित थाना प्रभारी, थाना सरई को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।

जमानत आवेदन का परिणाम सम्बंधित पंजी में दर्ज कर प्रपत्र दाखिल अभिलेखागार हो।

विजय कुमार सोनकर
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश
देवसर जिला सिगरौली (म.प्र.)